


न्यायालय श्रीमान् <sup>महोदय</sup> ~~आयुक्त~~ महोदय <sup>राजिव महल जयवर्मा</sup> ~~द्वारा~~ <sup>द्वारा</sup> ~~द्वारा~~ म.प्र.



R-478 -I / 2012

1-गुलाबचन्द्र तनय श्री राममिलन कुशवाहा उम्र-32वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पगार खुर्द तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र.

2-प्रेमचन्द्र कुशवाहा तनय श्री राममिलन कुशवाहा उम्र-39वर्ष निवासी ग्राम पगार खुर्द तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. निगराकारगण

धिवक्ता श्री के.डी. मेघाद्वारा ५६३४

02/10/2012

बनाम

1-म.प्र.शासन

2-श्रीमती रूपा पाण्डेय पत्नी श्री रमेश पाण्डेय निवासी बिरसिंहपुर तहसील बिरसिंहपुर जिला सतना म.प्र. गैरनिग.गण

02/10/12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.संहिता 1959.

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अपर कलेक्टर सतना जिला सतना म.प्र. के रा.प्र.कं.131/निग./10-11में पारित आदेश दिनांक 17.10.11.

M

माब्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी

है:-

कमश:-----2

सुलोक - ५६



Handwritten signature

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-478-I/12

जिला-सतना

गुलाबचन्द्र कुशवाहा/शासन म0प्र0, रूपा पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0डी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 131/निग0/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">               (बी.एम.शर्मा),            सदस्य         </p>	